न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय,

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्याः 81 /2018

अपीलान्ट –

1. स्वर्गीय घीसुलाल पुत्र तुलछा जाति सुथार के कायम मुकाम

1/1 मांगीलाल पुत्र नारायण जी

1/2 प्यारीदेवी पत्नी नारायणजी

1/3 बबीता पुत्री नारायणजी

1/4 संतोष पुत्री नारायणजी

1/5 रिंकु पुत्री नारायणजी

तमाम जातिगण सुथार निवासीगण घाणेराव तहसील–देसुरी, जिला–पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्ट –

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार–देसुरी, जिला–पाली
2. चुनाराम पुत्र घीसाराम जी
3. मगना पुत्र घीसाराम जी
4. गणेश पुत्र घीसाराम जी जातिगण सुथार निवासीगण घाणेराव, तहसील–देसुरी, जिला–पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री नारायण लाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 04 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निर्णय

दिनांक 16/01/2020

अपीलान्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 223, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आ ाय की प्रस्तुत कि अपीलान्ट ने वाद अन्तर्गत धारा 188, 40 व 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का विरूद्व रेस्पोडेन्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा ग्राम–घाणेराव, तहसील–देसुरी, जिला–पाली की सीमा क्षेत्र के पुराने खसरा नम्बर 36/1 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम जिस पर देय लगान 1.75 रूपये आई हुई है, जिसमें भू–प्रबन्ध कार्यक्रम के दौरान उक्त खसरा के नवीन खसरा नम्बर 122 क्षैत्रफल 0.27 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल कायम हुए, वादग्रस्त आराजी के खातेदार घीसीया (घीसुलाल पुत्र तुलछाजी सुथार) ओर वादीगण के पिता नारायणजी आपस में सगे भाई थे, दोनो भाई संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होकर सामलात परिवार में निवास करते थे, वादीगण हिन्दू है जो हिन्दू विधि से भाासित है वादग्रस्त आराजी के खातेदार घीसुलालजी निर्वसीयती व अविवाहित स्वर्गवास मौजा ग्राम घाणेराव में दिनांक 03.06.1980 को हो चुका है, प्रमाण में मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश की, वादग्रस्त आराजी के खातेदार घीसुलाल पुत्र तुलछा का निर्ववसीयती स्वर्गवास होने से सम्पूर्ण खातेदारी हक अधिकार उत्तरजीवी उतराधिकारी अपने सगे भाई नारायण पुत्र तुलछा जी को निहित हुए, नारायण जी का बतौर खातेदार अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजी पर घीसीया के देहान्त के बाद निरन्तर कब्जा का त विद्यमान रहा, वादीगण के पिता नारायणजी का दिनांक 11.12.2008 को निर्ववसीयती ग्राम घाणेराव में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

स्वर्गवास होने से वादीगण उनके जायज पुत्र, पत्नी व पुत्रीयां होने से बहिस्सा बराबर–बराबर हक अधिकार निहित हुए, वादीगण को वादग्रस्त आराजी में खातेदार हक अधिकार निहित होने से ओर अपने पिता के जीवनकाल से वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर का त करते आ रहे है, वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर बतौर खातेदार निरन्तर भाान्तिपूर्वक बिना किसी व्यवधान के कब्जा का त विद्यमान है, वादग्रस्त आराजी के भू अधिकार अभिलेखो में वादीगण के पिता के भाई घीसुलाल पुत्र तुलछा का का नाम इन्द्राज सम्वत 2033 की जमाबन्दी खसरा गिरदावरी व अन्य राजस्व रेकर्ड में है, जो वाद के साथ संलग्न हैं। भू–प्रबन्ध कार्यक्रम के दौरान घीसुलाल का दिनांक 03.06.1980 को स्वर्गवास होने से विरासत का नामान्तरण वादीगण के पिता नारायण तुलछा का इन्द्राज किया जाना था लेकिन लिपिकीय त्रुटि ओर भूलवश तथाकथित व्यक्ति चूनिया, मगनिया, गुणेश पुत्र घीसा कौम सुथार इन्द्राज कर दिया, जबकि इन नामो से ग्राम घाणेराव में सुथार जाति तक का कोई व्यक्ति नही है, घीसुलाल का अविवाहित ओर निसन्तान स्वर्गवास हुआ था, जिससे भू–प्रबन्धन कार्यक्रम के दौरान तथाकथित प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के नामों का इन्द्राज भूल व सेवन से तथा बिना किसी आदेश व डिक्री से इन्द्राज किया गया, जिसको दुरस्त करने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया। वादग्रस्त आराजी के खातेदार घीसुलाल पुत्र तुलछा का स्वर्गवास होने से वादीगण के पिता को खातेदार अधिकार निहित हो चुके थे, वादीगण के पिता, पति का स्वर्गवास होने पर वादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि पर खातेदार हक अधिकार निहित हो चुके है तथा माफिक खातेदारी हक अधिकार वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

का त है तथा इसी माफिक घीसुलाल पुत्र तुलछा की गॉव घाणेराव में विद्यमान अन्य कृषि भूमि में वादीगण के पिता ओर उनके बाद वादीगण का नाम विरासत से पूर्व में ही इन्द्राज हो चुका है, जिसके प्रमाण में म्युटे ान संलग्न हैं, लेकिन वादग्रस्त आराजी के भू अधिकार अभिलेखों में वादीगण के पिता तत्प चात् वादीगण का नाम का नामान्तरण और नामान्तरण नही होने से वादग्रस्त कृषि भूमि के भू अधिकार अभिलेखो में विधि विरूद्व तरीके से प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के हुए नामों के इन्द्राज को विलोपित कर वादग्रस्त कृशि भूमि वादीगण की खातेदारी घोषित करने हेतु वाद प्रस्तुत किया जिसके समर्थन में वादीगण ने वाद के समर्थन प्रमाण स्वरूप सम्वत 2026 से 2029, 2030 से 2033 की जमाबन्दी खतौनी व जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073, सम्वत 2034 से 2036 व 2038 से 2041 की खसरा गिरदावरी मिलान क्षैत्रफल व खतौनी पर्चा घीसुलाल पुत्र तुलछा के नाम का, बन्दोब त खतौनी, खसरा पत्रक आदि पत्रावली के साथ पे ा किये साथ ही घीसुलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र व नारायण पुत्र तुलछा का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति व ग्राम पंचायत घाणेराव द्वारा जारी घीसुलाल पुत्र तुलछा के विधिक वारिसान के उतराधिकार प्रमाण पत्र व नामान्तरण संख्या 439 की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली के साथ पेश की। जिस पर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया, जो सम्मन इस आशय की टिप्पणी के साथ अदम तामिल प्राप्त हुए कि इस नाम के प्रतिवादी घाणेराव में कोई नही हैं, तथा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पत्रावली पर कोई जवाब पेश नही किया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण के उक्त वाद को निर्णय दिनांक 11.05.2018 को कर वादी का वाद खारिज किया जिसके विरूद्व यह अपील अपीलान्टस वादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.05.2018 जो उपखण्ड अधिकारी देसुरी के राजस्व वाद संख्या 118/2019 बअनवान घीसुलाल के वारिश मांगीलाल बनाम सरकार के प्रस्तुत की जिस पर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया, जो नोटिस इस आशय से अदम तामिल प्राप्त हुए कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 के नाम का ग्राम घाणेराव में कोई व्यक्ति नही हैं तत्पश्चात् न्यायालय द्वारा अखबार प्रकाशन द्वारा तामिली हेतु आदेश दिया जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को तामिली हेतु दैनिक नवज्योति दिनांक 06 अप्रेल 2019 में अखबार प्रकाशन करवाया गया जिसकी प्रति अपील के साथ पेश हैं। जिस पर पत्रावली बहस हेतु मुकर्रर की गई।

अपीलान्ट ने बहस के दौरान वाद में वर्णित तथ्य दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि मौजा ग्राम घाणेराव, तहसील–देसुरी के पुराने खसरा नम्बर 36/1 क्षैत्रफल 1 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 122 क्षैत्रफल 0.2700 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि वादीगण के पिता घीसीया पुत्र तुलछा जाति सुथार के खातेदारी कृषि भूमि है, वादीगण के पिता नारायणजी मृतक घीसीयां पुत्र तुलछा के सगे भाई है तथा दोनो भाई संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होकर सामलात परिवार में निवास करते थे, वादग्रस्त आराजी के खातेदार घीसीयां की निर्वसीयत व अविवाहित स्वर्गवास हो चुका है, वादग्रस्त आराजी के खातेदार घीसीया पुत्र तुलछा का स्वर्गवास होने से वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदारी हक अधिकार वादीगण के पिता नारायण जी पुत्र तुलछा जी को कानूनन वारिश होने से उनके जीवनकाल में निहित हो गये थे तथा वादीगण के पिता नारायणजी अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निरन्तर कब्जा काश्त विद्यमान रहा। वादीगण के पिता नारायणजी का निर्वसीयत ही ग्राम घाणेराव में स्वर्गवास होने से वादीगण जायज पुत्र, पत्नी, पुत्री होने से वादग्रस्त आराजी में बहिस्सा बराबर हक अधिकार निहित हुए, वादीगण को वादग्रस्त आराजी में खातेदारी हक अधिकार निहित होने की दिनांक से ओर अपने पिता के जीवनकाल से ही वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का शान्तिपूर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा हैं, लेकिन भू–प्रबन्ध कार्यक्रम के दौरान घीसुलाल जी का स्वर्गवास होने से विरासत का नामान्तरण वादीगण के पिता नारायण पुत्र तुलछा का इन्द्राज किया जाना था जो नही कर वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में लिपिकीय त्रुटि व भूल से व बिना आदेश व निर्णय के तथाकथित व्यक्ति रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 का नाम इन्द्राज कर दिया गया, इन नामों से घाणेराव में काई व्यक्ति नही है, घीसुलाल की अविवाहित मृत्यु हुई जिसके कोई सन्तान नही हुई। घीसुलाल के कोई सन्तान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 का नही होने से अधिनस्थ न्यायालय व श्रीमान न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 के नाम का कोई व्यक्ति उपस्थित नही हुआ, जिससे स्पश्ट है कि वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 का नाम गलत व त्रुटिवश बेनामी इन्द्राज किया गया, तथा वादग्रस्त आराजी वादीगण की पैतृक सम्पति होने से अपीलान्ट को वादग्रस्त आराजी से बतौर खातेदार घोषित किया जावें, अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष से परे जाकर वादीगण की अन्य कृषि भूमि के समर्थन में जैर अपीलाधीन निर्णय पारित किया। वादग्रस्त आराजी के मिलान क्षैत्रफल के अनुसार नये खसरा नम्बर 122 के गत खसरा नम्बर 36/1 कायम हुए लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं मिलान क्षैत्रफल के विपरित जाकर बिना किसी साक्ष्य सबूत के गत खसरा नम्बर 36/1 के नये खसरा नम्बर 122 नही मानते हुए जैर अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्व तरीके से पारित किया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के नाम कोई व्यक्ति नही होते हुए भी उनको बेनामी व्यक्ति मानते हुए जैर अपीलाधीन निर्णय पारित किया, तथा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिनस्थ न्यायालय की ओर से कोई जवाब साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही होने से व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 कोई उपस्थित नही होने से कानूनन वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य था। अन्त में अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी सबूतो, साक्ष्यो व राजस्व रेकर्ड के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अपीलान्ट के वाद को स्वीकार कर निर्णय व डिक्री पारित करने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस का मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता नारायणजी के सगे भाई घीसीया पुत्र तुलछा के खातेदारी हक अधिकार की भूमि थी, इस सम्बन्ध में वादीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड पत्रावली पर पेश किये जिस हेतु वादीगण ने जमाबन्दी सम्वत 2026 से 2029 व 2030 से 2033 पे   ा की। घीसीयां पुत्र तुलछा के देहान्त दिनांक 30.06.1980 को ग्राम घाणेराव में हुआ जिसके प्रमाण में मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति पेश की तत्पश्चात् बन्दोबशत के दौरान खसरा नम्बर 36 मीन रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा के नये नम्बर 122 बने जिसके प्रमाण में मिलान क्षैत्रफल खसरा पत्रक व खतौनी पर्चा पेश है,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

लेकिन उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में बन्दोबस्त के दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 चुनिया, मगनिया, गुणेश का नाम बिना किसी विधिक निर्णय व आदेश के इन्द्राज किया गया, चूंकि अपीलान्ट का कथन रहा कि घीसीया पुत्र तुलछा की अविवाहित मृत्यु हुई है ऐसी स्थिति में घीसीया के कोई सन्तान होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है, इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में बन्दोबश्त कार्यक्रम के दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 का नाम बिना किसी आदेश व निर्णय के नाम इन्द्राज किया गया जिस नाम का कोई व्यक्ति ग्राम घाणेराव में सुथार जाति का नही है, जिस सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 को जारी सम्मनों की तामिली रिपोर्ट से स्पश्ट हैं, तथा वादीगण के पिता नारायण पुत्र तुलछा वादग्रस्त आराजी के खातेदार घीसीया पुत्र तुलछा के एक मात्र सगे भाई है और घीसीया पुत्र तुलछा की मृत्यु के दौरान उनके विधिक वारिसाानों के रूप में वादीगण के पिता नारायण पुत्र तुलछा होने से कानूनन हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत वादीगण का पिता/पति नारायण पुत्र तुलछा का नाम इन्द्राज किया जाना था जो नही कर बन्दोबस्त विभाग द्वारा विधि विरूद्व तरीके से बिना किसी आदेश व निर्णय से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 का नाम इन्द्राज किया गया जबकि कानूनन वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदारी हक अधिकार घीसीया पुत्र तुलछा के देहान्त के बाद उनके सगे भाई वादीगण के पिता/पति नारायण पुत्र तुलछा में कानूनन हो गये थे तत्पश्चात् नारायण पुत्र तुलछा के देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजी के खातेदारी हक अधिकार अपीलान्ट को कानूनन रूप से प्राप्त हो गये है तथा वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का लगातार कब्जा काश्त है, वादग्रस्त आराजी पर घीसीया पुत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तुलछा के देहान्त के बाद नारायण पुत्र तुलछा व उसके देहान्त के बाद वादीगण का कब्जा काश्त नही रहा हो इस हेतु भूमिधारी द्वारा कोई दस्तावेज या जवाब प्रस्तुत अधिनस्थ न्यायालय में नही किया। इससे स्पष्ट है कि वादीगण का वादग्रस्त कृशि भूमि पर अपीलान्ट व उसके पिता/पति नारायण पुत्र तुलछा का घीसीयां पुत्र तुलछा के देहान्त बाद से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है, तथा आज भी मौके पर वादीगण का ही कब्जा काश्त हैं। जहां तक अधिनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 36 मीन रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा के वर्तमान नम्बर 122 नही मानते हुए 126 मानकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया, लेकिन मिलान क्षैत्रफल के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुराने खसरा संख्या 36 मीन के नये नम्बर 122, 126 के अलावा अन्य नम्बर भी बने है लेकिन पुराने खसरा संख्या 36 मीन रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा के नये नम्बर 122 ही बने है, और नये खसरा नम्बर 126 के पुराने नम्बर 36 मीन ही थे, लेकिन उनका रकबा 1 बीघा ओर 10 बिस्वा ही था इससे स्पष्ट है कि खसरा संख्या 36 मीन रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा बिस्वा के नये नम्बर 122 ही बने है। अधिनस्थ न्यायालय ने सही अवलोकन नही कर गत खसरा संख्या 36 मीन के नये खसरा नम्बर 126 मानते हुए जैर अपीलाधीन निर्णय पारित किया। इससे स्पष्ट है कि घीसीयां पुत्र तुलछा के विधिक वारिश कानूनन हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत उनके एक मात्र इकलौता भाई नारायण पुत्र तुलछा थे जो वादीगण के पिता/पति थे, जिनको घीसीयां पुत्र तुलछा की मृत्यु के पश्चात् वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदारी हक अधिकार नारायण पुत्र तुलछा को काननून प्राप्त हो गये थे, तथा नारायण पुत्र तुलछा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

की मृत्यु के पश्चात् वादग्रस्त कृषि भूमि में खातेदारी हक अधिकार वादीगण को कानूनन प्राप्त हो गये है, ओर वादीगण का वादग्रस्त कृशि भूमि पर लगातार कब्जा काश्त रहने तथा आज भी मौके पर कब्जा स्थित होने से तथा वादग्रस्त कृषि भूमि पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त होने से वादीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि पर खातेदारी हक अधिकार स्थित हैं।

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी देसुरी के राजस्व वाद संख्या 118/2016 बअनवान वादीगण घीसुलाल के विधिक वारिस मांगीलाल वगैरा बनाम प्रतिवादीगण राज्य सरकार में पारित निर्णय दिनांक 11.05.2018 को निरस्त किया जाता है, तथा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाता है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि मौजा ग्राम–घाणेराव के खसरा नम्बर 122 क्षैत्रफल 0.2700 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की वादग्रस्त आराजी के भू–अधिकार अभिलेखों में से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 तथाकथित चुनाराम, मंगनाराम, गणेशाराम पुत्रगण घीसा कौम सुथार के नाम को विलोपित किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदारी घोषित किया जाता है, इस हेतु तहसीलदार देसुरी को राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेन्ट 2 से 4 तथाकथित चुनाराम, मंगनाराम, गणेशाराम पुत्रगण घीसा कौम सुथार के नाम को विलोपित किया जाकर वादीगण का नाम वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार इन्द्राज किये जाने का निर्देश दिया जाता हैं। तदानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

आज दिनांक 16.01.2020 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

डिक्री पर्चा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्याः 81 /2018

अपीलान्ट –

1. स्वर्गीय घीसुलाल पुत्र तुलछा जाति सुथार के कायम मुकाम

1/1 मांगीलाल पुत्र नारायण जी

1/2 प्यारीदेवी पत्नी नारायणजी

1/3 बबीता पुत्री नारायणजी

1/4 संतोष पुत्री नारायणजी

1/5 रिंकु पुत्री नारायणजी

तमाम जातिगण सुथार निवासीगण घाणेराव तहसील–देसुरी, जिला–पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्ट –

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार–देसुरी, जिला–पाली
2. चुनाराम पुत्र घीसाराम जी
3. मगना पुत्र घीसाराम जी
4. गणेश पुत्र घीसाराम जी जातिगण सुथार निवासीगण घाणेराव, तहसील–देसुरी, जिला–पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री नारायण लाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 04 बावजूद सूचना अनुपस्थित

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। तथा उपखंड अधिकारी देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 118/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.05.2018 को अपास्त किया जाता है। अपीलांटगण को कृषि भूमि मौजा ग्राम घाणेराव के खसरा नंबर 122 क्षेत्रफल 0.2700 हैक्टेर भूमि का खातेदार घोषित किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

यह निर्णय आज दिनांक 16/01/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली